# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 76/2022　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : 12/4/2022

मोरमिया पिता जग्गनाथ जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.........प्रार्थी

**बनाम**

1. लक्ष्मीनारायण पिता बनवारी जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. रूकमलाल पिता नानुड़ा जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

..........विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट**

**– : आदेश : –**　　　　　　　　　　　　**दिनांक 12/4/2022**

प्रार्थना पत्र मैं मोरमिया पिता जग्गनाथ जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम चिताबड़ा पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 51 **पर अंकित आराजी नम्बर 15, 18, 19, 255/15, 256/14 , 28, 285/42 कुल किता 07 रकबा 0.9793 हैक्टेयर भुमि** स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रू की पत्थरगढ़ी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम चिताबड़ा पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 51 **पर अंकित आराजी नम्बर 15, 18, 19, 255/15, 256/14 , 28, 285/42 कुल किता 07 रकबा 0.9793 हैक्टेयर भुमि जो** बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी**
**बिजौलिया**